दैनिक
# न्याय साक्षी

# खबरें खास

रायगढ़, रविवार 22 मार्च 2020
www.nyaysakshi.com


## महत्वपूर्ण एवं खास

### कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु समस्त यात्री बसों तथा सिटी बसों का संचालन 29 मार्च तक स्थगित

» टैक्सी एवं ऑटो में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर संचालकों के ऊपर होगी वैधानिक कार्यवाही

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रभावी रोकथाम एवं लोकहित को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा राज्य के समस्त यात्री बसों व वाहनों तथा नगरीय क्षेत्र में संचालित समस्त सिटी बस का संचालन 29 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसके साथ जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि राज्य एवं जिले में संचालित होने वाली टैक्सी एवं ऑटो में क्षमता से अधिक सवारी न बैठाया जाए। शासन के निर्देशानुसार टैक्सी एवं ऑटो में क्षमता से अधिक सवारी बिठाने पर संचालकों के ऊपर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

### जिला चिकित्सालय एवं मातृ शिशु चिकित्सालय में चौबीस घंटे सातों दिन करा सकते है स्क्रीनिंग

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** कलेक्टर यशवंत कुमार के निर्देशानुसार कोरोना संक्रमण के मद्देनजर स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। जिसके तहत जिला चिकित्सालय के इमेरजेंसी वार्ड तथा मातृ-शिशु चिकित्सालय में दिन के 24 घंटे सप्ताह के सातों दिन स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त जिला चिकित्सालय के आयुष विंग में भी ओपीडी समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक लोग अपनी स्क्रीनिंग करवा सकते हैं।

### कोरोना वायरस के संक्रमण से आम जन को सुरक्षित रखने हेतु 23 से 25 मार्च तक जिले के सभी मदिरा दुकाने, रेस्टोरेंट एवं होटल बार रहेंगे बंद

» एफएल 4/4-क क्लब भी रहेंगे 23 से 31 मार्च तक बंद

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19)के संक्रमण से आम जन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से वाणिज्यिक कर (आबकारी)विभाग मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के तहत देशी, विदेशी मदिरा दुकानें, छत्तीसगढ़ स्टेस्ट बेवरेजेस कार्पोरेशन के गोदाम (रायपुर एवं बिलासपुर)तथा जिले में स्थित देशी मदिरा के मद्य भण्डागारों तथा रेस्टोरेंट एवं होटल बार को 23 से 25 मार्च 2020 तक बंद रखे जायेंगे। इसी तरह आगामी 23 से 31 मार्च 2020 तक समस्त एफ.एल.4/4-क क्लब बंद रखे जायेंगे।

### मनरेगा के तहत रिक्त संविदा पदों की पात्र-अपात्र सह मेरिट सूची जारी

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना प्रकोष्ठ जिला पंचायत रायगढ़ अंतर्गत जनपद स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी, तकनीकी सहायक, लेखापाल, डाटा एन्ट्री आपरेटर, सहायक ग्रेड-3 के कुल 72 पदों के लिए आवेदन मंगाए गए थे। प्राप्त आवेदनों का चयन समिति द्वारा जांच कर कौशल परीक्षा उपरांत प्राप्त अंक के आधार पर पात्र एवं अपात्र सह मेरिट सूची जारी की गई है।

### आवासीय हितग्राहियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए सेल गठित करें

**रायपुर।** नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य शासन द्वारा अनेक उपाय किए जा रहें हैं। समाज कल्याण विभाग के सचिव ने आवासीय संस्थाओं में निवासरत शेष आवासीय हितग्राहियों को संक्रमण से बचाने के लिए किए गए कार्यो पर संचालनालय स्तर पर एक सेल गठित करने के निर्देश दिए है। सचिव द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि राज्य में आवासीय संस्थाओं की निम्न बिन्दुओं पर जानकारी प्राप्त कर पर्यवेक्षण उपरांत प्रति सप्ताह जानकारी विभाग को उपलब्ध कराएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन/स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना के बचाव के संबंध में जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप हितग्राहियों तथा संस्था के कर्मचारियों को दिये गये प्रशिक्षण की जानकारी तथा उनका पालन प्रतिवेदन दी जाए। निवासरत हितग्राहियों के चिकित्सीय परीक्षण की संख्या, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मापदण्डों के अनुसार हितग्राहियों को दिन में कितनी बार साबुन से अथवा सेनेटाईजर से हाथ धुलवाये गये है।

# मुयमंत्री भूपेश बघेल ने आज घर में ही रहकर किये प्रशासनिक कामकाज

रायपुर। एम्स के डायरेक्टर से दूरभाष पर कोरोना पीड़ित मरीज के स्वास्थ्य का हालचाल जाना और सभी आवश्यक चिकित्सा मुहैया कराने के दिए निर्देश

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज अपने निवास में रहते हुए ही प्रशासनिक कामकाज संम्पन्न किये। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कोरोना वायरस की जारी एडवाइजरी का पालन करते हुए घर में रहते हुए ही प्रशासनिक कार्य किये। उन्होंने रायपुर कलेक्टर से दूरभाष पर चर्चा कर कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए किए गए इन्तेजामो की जानकारी ली वहीं उन्होंने जगदलपुर संभाग आयुक्त से दूरभाष पर चर्चा कर बस्तर क्षेत्र में आये भूकंप की जानकारी ली । मुख्यमंत्री श्री बघेल से आज उनके निवास कार्यालय में पुलिस महानिदेशक श्री डी एम अवस्थी ने मुलाकात कर आज हुई नक्सल मुठभेड़ की जानकारी दी।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अपने निवास से मुख्य सचिव श्री आर.पी. मंडल और स्वास्थ्य सचिव से दूरभाष पर चर्चा कर कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु पूरे प्रदेश में किये जा रहे इन्तेजामो की ओवरऑल जानकारी ली । मुख्यमंत्री ने एम्स के डायरेक्टर से दूरभाष पर कोरोना पीड़ित मरीज के स्वास्थ्य का हालचाल जाना और सभी सभी आवश्यक चिकित्सा मुहैया कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही दूरभाष पर ही अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

## रायगढ़ जिले के समस्त नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र में राशन, मेडिकल, पेट्रोल एवं गैस एजेंसी सहित जरूरी दुकानें रहेंगी खुली

» 5 अप्रैल या आगामी आदेश पर्यन्त तक अन्य दुकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान रहेंगे बंद

» कलेक्टर ने जारी किया आदेश

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** नोवेल कोरोना वायरस जो कि एक संक्रामक बीमारी है जो विश्व के विभिन्न देशों में कुछ ही हफ्तों में महामारी का रूप ले चुकी है। शासन द्वारा स्वास्थ्य की दृष्टि से कोरोना वायरस के संपर्क से पीड़ित, संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत दी है। इसी के मद्देनजर लोगों के मोमेन्ट को कम से कम रखने के लिए कलेक्टर यशवंत कुमार ने शासन द्वारा जारी एपिडेमिक डिसीज एक्ट, 1897 के संदर्भ में जारी आदेश तथा इसके अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला रायगढ़ के समस्त नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु कई विभिन्न संस्थाओं, दुकानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों आदि को 5 अप्रैल 2020 या आगामी आदेश पर्यन्त तक अनिवार्य रूप से बंद रखने हेतु आदेशित किया है। इस दौरान सभी मण्डियां व दुकान व ठेला मेडिकल स्थापनायें एवं मेडिकल दुकान, ट्रांसपोर्ट नगर व गुड्स एवं कैरियर सेवाएं, पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी, बैकिंग सेवाएं (जिनमें एक समय में 10 से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे), एटीएम, मीडिया संस्थान, पेयजल सुविधाएं, सीवरेज ट्रीटमेंट व्यवस्थाएं, फायर बिग्रेड, टेलीफोन व इंटरनेट सेवाएं, होटल एवं रेस्टोरेन्ट (जिनमें पक्की स्थायी संरचना एवं वैध लायसेंस उपलब्ध हो राज्य एवं केन्द्र शासन द्वारा (कोविड-19) के संदर्भ में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनिवार्य रूप से पालन करने पर), राशन दुकाने, विद्युत व्यवस्थापक व बेकरी दुकानें खुली रहेंगी।

## श्रमिकों एवं कर्मचारियों को वेतन, अवकाश एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं देने के लिए नियोक्ताओं को निर्देश जारी

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** नोवेल कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए श्रम विभाग द्वारा समस्त नियोजक, अधिभोगी, कारखाना प्रबंधक, प्रोपाईटर, संस्था-प्रतिष्ठान को अपने संस्थान एवं स्थापना में कार्यरत कर्मचारी व श्रमिक (स्थायी, अस्थायी, ठेका)आदि को स्वास्थ्य, सुरक्षा, वेतन, भत्ता एवं अन्य सुविधाओं देने तथा उनके परिवार के सदस्यों को वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान के निर्देश दिए है। यह भी निर्देश दिए गए है कि कार्यरत कर्मचारी, कर्मकार, श्रमिक आदि को सहूलियत के हिसाब से कार्य करायें जाए और आवश्यक होने पर उनके निवास से भी कार्य करने हेतु व्यवस्था करें। यदि कोई कोरोना से पीड़ित हो तो उसके स्वास्थ्य लाभ हेतु संपूर्ण सहयोग के साथ-साथ आवश्यकतानुसार सवैतनिक अवकाश प्रदाय करें। यदि किसी कर्मचारी, श्रमिक के परिवार का कोई भी सदस्य इस बीमारी से पीड़ित हो तो उनके उपचार एवं सहयोग हेतु सवैतनिक अवकाश प्रदाय करें। साथ ही श्रमिक या कर्मचारी तथा उनके परिवार के सदस्य अन्य कारणों से भी बीमार हो तो भी उन्हें सवैतनिक अवकाश एवं अन्य सहूलियत प्रदान करें।

## आपातकालीन सेवाओं से संबंधित शासकीय कार्यालय छोड़कर 31 मार्च तक रहेंगे बंद

» अधिकारी-कर्मचारी निवास स्थल में मोबाइल, टेलीफोन एवं अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से संपर्क बनाये रखेंगे

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा समस्त शासकीय कार्यालयों के कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंस बनाये रखने के बारे में दिशा-निर्देश जारी किए गए थे।

उक्त आदेश में संशोधन करते हुए राज्य शासन द्वारा 31 मार्च 2020 तक राज्य स्तर पर समस्त भारसाधक सचिव एवं विभागाध्यक्ष अपने निवास पर आवश्यक कार्यालयीन व्यवस्था करते हुए शासकीय कार्य का संपादन करने हेतु निर्देशित किया गया है। विभाग एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय के अन्य अधिकारी-कर्मचारीगण को न्यूनतम प्रशासकीय आवश्यकता अनुरूप कार्य में संयोजित करेंगे।

संभाग एवं जिला स्तर पर स्थित शासकीय कार्यालयों में से कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने में शामिल विभागों जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पताल एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने में सम्मिलित विभागों में संबंधित कार्यालय जैसे संभागायुक्त कार्यालय, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसील, पुलिस थाना एवं चौकी, फायरबिग्रेड, जेल इत्यादि तथा बिजली व्यवस्था, पेयजल प्रदाय, साफ-सफाई एवं स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित अन्य अत्यावश्यक एवं आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर शेष कार्यालयों को 31 मार्च तक संचालित नहीं किए जायेंगे। संचालित हो रहे कार्यालयों में जनसाधारण को न आने के लिए प्रेरित करने हेतु भी निर्देश दिए गए है। अधिकारी-कर्मचारीगण निवास से सदैव मोबाईल, टेलीफोन एवं अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से संपर्क में रहेंगे, ताकि आवश्यकता होने पर कार्यालय में बुलाया जा सके।

## कोरोना वायरस के मद्देनजर 23 से 25 मार्च तक सभी पंजीयन कार्यालय रहेंगे बंद

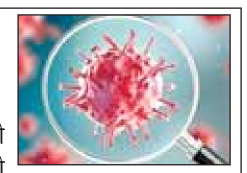

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमण के विस्तार की रोकथाम के मद्देनजर 23 से 25 मार्च 2020 तक राज्य एवं जिले के सभी पंजीयन कार्यालय बंद रखें जायेंगे। छ.ग.शासन वाणिज्यिक कर (पंजीयन)विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार उनका पुनरीक्षण नियम 2020 के तहत प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को जारी किए जाने वाले गाईड लाईन दरों की प्रभावशीलता तिथि में वर्ष 2020-21 के लिए माह की वृद्धि की जाती है।

# कलेक्टर के निर्देशानुसार मातृ एवं शिशु अस्पताल में किया गया मॉकड्रिल

» अन्य प्रांतों से लौटे 80 लोगों ने स्वास्थ्य केन्द्र पहुंचकर करायी स्क्रीनिंग, किसी में कोरोना के लक्षण नहीं पाये गये

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** कलेक्टर यशवंत कुमार के निर्देशानुसार मातृ शिशु अस्पताल में संक्रमित मरीजों के इलाज हेतु मॉक ड्रिल कर प्रोटोकॉल अनुसार मरीज के इलाज का अभ्यास किया गया। चिकित्सीय तथा नर्सिंग स्टाफ ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार मरीज की स्क्रीनिंग से लेकर अस्पताल में भर्ती करने तथा टेस्ट के लिए सैंपल लेने संबंधी सारे क्रिया-कलापों का ड्रिल किया गया। इस दौरान स्टाफ द्वारा प्रोटेक्शन किट पहनने तथा रखी जाने वाली अन्य आवश्यक सावधानियों का भी अभ्यास किया।

कलेक्टर यशवंत कुमार तथा पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने गत दिवस अस्पताल का निरीक्षण कर इलाज प्रक्रिया का ड्रिल कर अभ्यास करने के निर्देश दिए गए थे। जिसके परिपालन में आज पूरी प्रक्रिया संपादित कर मेडिकल स्टाफ को पुनः ट्रेनिंग दी गई। डॉ.वेदप्रकाश गिल्हे ने आगे बताया कि वर्तमान में जिला स्तर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। दूसरे प्रान्तों से लौटकर आये लोगों से भी स्वास्थ्य केन्द्रों में पहुंचकर अपनी स्क्रीनिंग कराने व ट्रेवल हिस्ट्री दर्ज करवाने के लिए अपील की गई थी। जिससे प्रेरित होकर अन्य प्रांतों से लौटे लोग स्वयं स्वास्थ्य केन्द्रों में पहुंचकर अपनी स्क्रीनिंग करा रहे हैं।

» वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए घोषित

## स्कूल अवकाश में बच्चों को 40 दिन का सूखा दाल चावल प्रदाय किया जाएगा

**रायपुर।** लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा राज्य के समस्त कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को नावेल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए घोषित शालाओं के अवकाश के दिनों में भी मध्यान्ह भोजन के अंतर्गत बच्चों को 40 दिनों तक सूखा खाद्यान्न (चावल एवं दाल) प्रदान किए जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

आदेश में कहा गया है कि 40 दिन का सूखा दाल और चावल बच्चों के पालकों को स्कूल से प्रदाय किया जाएगा। प्राथमिक शाला के प्रत्येक बच्चे को 4 किलोग्राम चावल और 800 ग्राम दाल तथा उच्चतर माध्यमिक शाला के प्रत्येक बच्चे को 6 किलोग्राम चावल और 1200 ग्राम दाल शाला के सामान्य समय में खाना बनाने वाली एजेंसी के प्रतिनिधि के समक्ष शाला प्रमुख द्वारा प्रदाय किया जाएगा। खाद्य सामग्री के वितरण के लिए 3 एवं 4 अप्रैल 2020 की तिथि निर्धारित की गई है। निर्धारित तिथि के पूर्व ग्राम में मुनादी के द्वारा पालकों को इससे अवगत कराया जाएगा। वितरण के समय बच्चों के पालकों से बच्चों की उपस्थिति पंजी के मार्च माह के पृष्ठ में ही बच्चों के नाम के सम्मुख हस्ताक्षर लेते हुए चांवल एवं दाल की मात्रा का उल्लेख किया जाएगा। इस दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शाला में भीड़ न इकठ्ठी हो। इसके लिए अलग-अगल कक्षा के लिए अलग-अलग समय निर्धारित किया जाए। वितरण हेतु चावल की व्यवस्था पूर्व की तरह शासन द्वारा कूपन के माध्यम से उचित मूल्य की दुकान से एवं दाल की व्यवस्था शाला में मध्याहन भोजन योजना का संचालन करने वाली एजेंसी द्वारा किया जाएगा।

गुणवत्ता युक्त दाल का क्रय न्यूनतम दर पर ही किया जाए। वितरण के पश्चात जिन बच्चों के पालकों के द्वारा खाद्यान्न प्राप्त किया जाता है। उसके आधार पर ही मासिक प्रपत्र तैयार कर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को प्रेषित किया जाए। मासिक प्रपत्र के आधार पर ही संचालनकर्ता एजेंसी को कुकिंग कास्ट/दाल की राशि की प्रतिपूर्ति उनके खाते में पूर्व की तरह ही की जाए। यदि किसी शाला में किसी कारणवश चावल पर्याप्त मात्रा में न हो तो संकुल समन्वयकों की मदद से आस-पास की शाला से तात्कालिक रूप से व्यवस्था की जाए तथा आगामी माह के आबंटन में इसका समायोजन कर लिया जाए। आपात स्थिति में वितरण की कार्रवाई में जिला कलेक्टर द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO Ñ- CHH-